बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन / 10 / आरोप(द0बि0)–37 / 2024../ पटना, दिनांक–

आदेश

परिवादी श्री चन्देश्वर कुमार द्वारा समर्पित परिवाद जिसमें उद्यान प्रमंडल में अनुरक्षण मरम्मति कार्य हेतु अपने चहेते संवेदकों को लाभ पहुचाने के लिए सूचीबद्धता सूची में अनियमितता बरतने का आरोप श्री रामज्ञा कुमार तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, श्री नितेश कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, एवं श्रीमती पुष्पा रानी, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, दक्षिण बिहार अंचल के विरूद्ध लगाया गया।

उक्त के आलोक में निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (दक्षिण) द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री नितेश कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल एवं श्रीमती पुष्पा रानी, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र गठित किया गया। आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

इस बीच प्रस्तुत मामले में पुनः नये सिरे से जाँच कराने हेतु श्री विनय कुमार, तत्कालीन अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियंता (पटना) को संयुक्त रूप से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समेकित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मुख्य अभियंता (पटना) के पत्रांक–3211(पी0) दिनांक–12.12.2025 द्वारा संयुक्त जाँच दल का समेकित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :–

"जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विभागीय संकल्प एवं मानक के अनुसार श्री चन्देश्वर कुमार द्वारा निविदा कागजात / विहित प्रपत्र–'ख' कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण, इन्हें विषयांकित निविदा में अयोग्य पाया गया है और परिवादी को सूचीबद्धता में शामिल नहीं किया गया। परिवादी के परिवाद में अन्य आरोप जो कि प्राप्त जानकारी के आलोक में लिखा गया है, के संबंध में कोई भी साक्ष्य, कागजात नहीं दिया गया है। अतः इस आरोप को साक्ष्य एवं कागजात नहीं होने के कारण विचार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।"

उक्त संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित समेकित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त श्री नितेश कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल एवं श्रीमती पुष्पा रानी, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, दक्षिण, बिहार अंचल, को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से मुक्त किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 /–
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कृ0पृ0उ0

D//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Adhisuchna. Adesh

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(द0बि0)–37/2024.......3611 (अ)/ पटना, दिनांक– 17/4/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, पटना/श्री नितेश कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, पटना सम्प्रति कृषि विभाग में पदस्थापित/श्रीमती पुष्पा रानी, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, दक्षिण बिहार अंचल सम्प्रति सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना/अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–01, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–02/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 15/4/26

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Gopal

D//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Adhisuchna. Adesh